



दिनांक: 18-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक वारण्टी महिला अभियुक्ता को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वारण्टी/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.09.2023 को एक वारण्टी अभियुक्ता **बोबी पुत्री हुकमसिंह निवासी ग्राम तकीपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर** वाद सं० 953/21 व एनसीआर सं०- 10/20 धारा 323/504/506 भादवि को थाना क्षेत्र बिहारीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता बोबी उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. बोबी पुत्री हुकमसिंह निवासी ग्राम तकीपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम

1. व०उ०नि० श्री रामचरन सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।
2. म०का० 1319 आरती थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।
3. म०का० 1332 ज्योति थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 18-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा पशु चोरी के 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11.09.2023 वादी मौ० जाबिर पुत्र फरमूद निवासी ग्राम सूबरी ख्वाजा थाना नांगल जिला सहारनपुर मो०न० 9759988420 ने थाना नांगल पर बावत अभियुक्तगण द्वारा पोल्ट्री फार्म का ताला तोड़कर वादी की भैंस चोरी कर ले जाना के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 241/23 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.09.2023 को थाना नांगल पर भैंस चोरी के मामले चल रहे वांछित अभियुक्तगण- 1.पोददा उर्फ प्रमोद पुत्र छोटन निवासी सूबरी मेहराब थाना नांगल जिला सहारनपुर, 2.जर्जर पुत्र शमशेर सिंह निवासी सूबरी ख्वाजा थाना नांगल जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु०अ०सं० 241/23 धारा 457/380/411 भादवि को अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अवगत करा दें कि एक अभियुक्त भूरा पुत्र अकरम निवासी ग्राम बेलडा जूनारदार को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिसके कब्जे से चोरी की भैंस बरामद की जा चुकी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.09.2023 को हम लोगो ने मिलकर गाँव सूबरी ख्वाजा में ही मौ० जाबिर पुत्र फरमूद निवासी ग्राम सूबरी ख्वाजा थाना नांगल जिला सहारनपुर के घर से भैंस चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. प्रमोद उर्फ पोददा पुत्र छोटन निवासी सूबरी मेहराब थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. जर्जर पुत्र शमशेर सिंह निवासी सूबरी ख्वाजा थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. व०उ०नि० ओमेन्द्र सिंह मलिक थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है०का० 310 विपिन कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. का० 2440 हरकेश सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर



दिनांक: 18.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वारन्टी/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.09.2023 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1. कदीर पुत्र अख्तर गाड़ा नि0 ग्राम सिकरौड़ा थाना भगवानपुर हरिद्वार, 2. मजीद पुत्र मजीदा पुत्र सादीक गाड़ा नि0 ग्राम सिकरौड़ा थाना भगवानपुर हरिद्वार व 3. राजेन्द्र पुत्र रामपाल झीवर नि0 ग्राम सिकरौड़ा थाना भगवानपुर हरिद्वार सम्बन्धित वाद सं0 2151/21, मु0अ0सं0 163/1999 धारा 379/411 भादवि को दविश देकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. कदीर पुत्र अख्तर गाड़ा नि0 ग्राम सिकरौड़ा थाना भगवानपुर हरिद्वार
2. मजीद पुत्र मजीदा पुत्र सादीक गाड़ा नि0 ग्राम सिकरौड़ा थाना भगवानपुर हरिद्वार
3. राजेन्द्र पुत्र रामपाल झीवर नि0 ग्राम सिकरौड़ा थाना भगवानपुर हरिद्वार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. श्री प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राम प्रकाश पाण्डेय थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 1059 मोहनवीर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 18-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में तीन शैड चोरी करने वाले 02 शातिर चोर

गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की करीब 100 टीन शैड व 01 महिन्द्रा पिकअप बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 17/09/2023 को वादी मुकदमा श्री आशु गुप्ता पुत्र अनुरोध गुप्ता निवासी शिव शक्ति ब्रिक्स सप्लाई ग्राम चन्दपुर थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा लेबर क्वार्टर झुग्गी की तीन शैड अनुमानित सं० 100 चोरी कर ले जाने के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 500/23 धारा 379 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटना का संज्ञान लेकर घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी देवबन्द को दिशा-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा दौराने चैकिंग आज दिनांक 18.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.आदिल पुत्र मौ० इस्लाम नि० मौ० सरवट थाना सिविल लाईन जनपद मुजफ्फरनगर व 2.फैसल पुत्र मौ०हम्मद मुस्तफा नि० मौ० सरवट थाना सिविल लाईन जनपद मुजफ्फरनगर को चोरी गये माल 100 टीन शैड व 01 महिन्द्रा पिकअप सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आदिल पुत्र मौ० इस्लाम नि० मौ० सरवट थाना सिविल लाईन जनपद मुजफ्फरनगर।
2. फैसल पुत्र मौ०हम्मद मुस्तफा नि० सुभाष नगर थाना मंडी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

- 100 टीन शैड
- 01 महिन्द्रा पिकअप

अभियुक्त आदिल का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 109/15 धारा 307 IPC चालानी थाना नानौता जिला सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 111/15 धारा 25 आयुद्ध अधि० चालानी थाना नानौता जिला सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 500/23 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।
4. मु०अ०सं० 153/19 धारा 328 भादवि चालानी थाना सिविल लाईन जनपद मु०नगर
5. मु०अ०सं० 120/15 धारा 395/397/412 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री राजकुमार गौतम थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. उ०नि० श्री हेमन्त भारती थाना देवबंद जिल सहारनपुर
3. है०का० 698 संदीप भाटी थाना देवबंद जिल सहारनपुर
4. का० 1811 राहुल कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक: 18-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध कटान करने वाले 03 वांछित अभियुक्तों को
किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, गौकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान व वारण्टी/वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 484/23 धारा 269/270/272/273/332/353/429/307 भा.द.वि व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 के वांछित अभियुक्तगणों को आज दिनांक 18.09.2023 को चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. दानिश उर्फ नदीम पुत्र मुस्तफा नि0 मौ0 नेचलगढ ईनाम डाक्टर वाली गली कस्बा व थाना देवबन्द व 2. शमशेर पुत्र शफीक नि0 बैरुनकोटला कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 3. साकिब पुत्र फैय्याज नि0 मो0 अबुलमाली जामा मस्जिद कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को भायला फाटक देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न पशु पैठ से पशु लाकर मौ0 बैरुन कोटला में स्थित साहिद के घर में पशुओं को काटकर उनका मीट बाजार में बेच देते हैं। हाजी नसीम उर्फ खुड्डा व शमशेर का काम जगह जगह बाजार तलाश करना व मीट को सप्लाई करना व यह देखना कि ज्यादा से ज्यादा कमाई कैसे की जा सकती है। जो पुराना मीट बच जाता है तो उसमें कैमिकल लगा कर रख लेते हैं और अगले दिन ताजा मीट के साथ मिलाकर बेच देते हैं। जिससे काफी मुनाफा होता है। दिनांक 09.09.23 की रात्रि में जब हम लोग पशु कटान की तैयारी कर रहे थे तो मौके पर पुलिस आ गयी और हम लोग मौके देखकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. दानिश उर्फ नदीम पुत्र मुस्तफा नि0 मौ0 नेचलगढ ईनाम डाक्टर वाली गली कस्बा व थाना देवबन्द
2. शमशेर पुत्र शफीक नि0 बैरुनकोटला कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. साकिब पुत्र फैय्याज नि0 मो0 अबुलमाली जामा मस्जिद कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दानिश उर्फ नदीम

- (1) मु0अ0सं0-277/22 धारा 429 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (2) मु0अ0सं0- 283/21 धारा 51 आपदा प्रबन्धन व 188/269/270 भादवि चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (3) मु0अ0सं0-1082/10 धारा 147/148/149/295ए/307 भा.द.वि चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (4) मु0अ0सं0-62/19 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (5) मु0अ0सं0- 324/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त साकिब

- (1) मु0अ0सं0-277/22 धारा 429 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शमशेर पुत्र शफीक

- (1) मु0अ0सं0-272/22 धारा व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

5. उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. है0का0 828 सतपाल सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
7. है0का0 931 प्रवेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
8. का0 155 तहसीन अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक: 18-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया
गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27/07/2023 को वादी ने थाना देवबंद पर आकर लिखित तहरीर दी कि उसकी पुत्री उम्र 20 वर्ष को मोहतसिम पुत्र सलीम नि० इबादुल्लापुर माजरा अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर अपहण करके ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं०- 416/23 धारा 366 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अपहृता की पूर्व में बरामदगी की जा चुकी है तथा विवेचना से अभियोग उपरोक्त में 376 भा.द.वि व की वृद्धि की गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस द्वारा आज दिनांक 18/09/2023 को अभियुक्त मोहतसिम पुत्र खलीम नि० इबादुल्लापुर माजरा अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को अम्बेहटा पुलिस से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहतसिम पुत्र सलीम नि० इबादुल्लापुर माजरा अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० आजाद सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 338 रविन्द्र गिरि थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का० 484 अरुण कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।